

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

## सूचना

भोपाल, दिनांक:- 08/03/2021

क्रमांक 1507 /टीसी/65/उपां/नग्रानि/जबलपुर/2018-21 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट जबलपुर विकास योजना, 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

### अनुसूची

क्रं	ग्राम	नजूलशीट ब्लॉक क्रमांक	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.		4.	5.	6.
1.	छोटी ओमती	08	10/2 में से	0.1742	आवासीय एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
			11	0.091	आवासीय एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
			12	0.2006	आवासीय एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
		योग:-		0.4699 हेक्टेयर		

नोट:- उक्त उपांतरण की सूचना के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात म0प्र0 राजपत्र दिनांक 06 जून 2014, में शासन की सूचना क्रमांक एफ-3-74-2011-बत्तीस भोपाल दिनांक 28 मई 2014, निरस्त मान्य होगी।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर तथा वेबसाईट [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।



(अजीत कुमार)

आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल